

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष-वीरेन्द्र सिंह राजपूत

वैवाहिक प्र0 क्रमांक 14/2013

संस्थित दिनांक 15.04.2013

गोविंद प्रताप पुत्र लाडले मोहनलाल शुक्ला, उम्र 36 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 6 कस्बा गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती अमिता शुक्ला पत्नी गोविंद प्रताप शुक्ला, पुत्री ग्याप्रसाद शर्मा, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 2 गंज बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री ऊदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 05-07-2017 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी पत्नी है से दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ वर्ष 2005 में सम्पन्न हुआ था एवं उनके संसर्ग से एक पुत्र कृष्णा का जन्म हुआ है।

03. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ वर्ष 2005 में कस्बा गोहद में सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् आवेदक एवं अनावेदिका एक साथ सुख पूर्वक रहे और दोनों के संसर्ग से एक पुत्र कृष्णा का जन्म हुआ।

विवाह के कुछ समय तक अनावेदिका आवेदक के साथ ठीक से रही और डेढ़ साल बाद छोटी छोटी बातों को लेकर आवेदक एवं उसके परिवारजनों से झगडा करने लगी और कहती थी कि वह आवेदक के साथ अलग से दूसरे घर में रहूंगी नहीं तो इस घर को छोडकर चली जाउंगी। आवेदक ने कहा कि उसका छोटा भाई बाहर रहता है घर में माता पिता की देखरेख करने वाला कोई अन्य नहीं है। अनावेदिका द्वारा दिनांक 26 मई 2009 को अपने भाई व पिता को फोन कर बुला लिया और उनके साथ अपना सारा सामान एवं पुत्र कृष्णा को लेकर चली गई और आवेदक एवं उसके परिवार के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। आवेदक अनावेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है। अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदक को सहचर्य से बंचित कर दिया है। ऐसी दशा में आवेदक के हक में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदिका द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष कथनों से इन्कार कर जबाव में निवेदन किया है कि आवेदक एवं उसके माता पिता द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान कर दहेज के रूप में एक लाख रुपए की मांग करते थे और उसे खाने पीने के लिए तंग करते थे और आवेदिका व उसके बच्चे को मारपीट कर घर से निकाल दिया, तब से वह अपने माता पिता के घर रह रही है। अनावेदिका के माता पिता द्वारा उसे ससुराल में रखने हेतु कई बार पंचायत भी जोडी गई, किन्तु आवेदक व उसके परिजनों ने दहेज में एक लाख रुपए देने की बात को कहते हुए उसे रखने से मना कर दिया। आवेदक द्वारा यह याचिका मात्र अनावेदिका को भरणपोषण की राशि न देना पडे इस कारण प्रस्तुत की गई है। अनावेदिका आवेदक के साथ रहने को तैयार है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गोविंदप्रताप आ0सा0 1, लाडले मोहनलाल शुक्ला आ0सा0 2 एवं अनावेदिका की ओर से अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती अमिता शुक्ला अना0सा0 1 एवं ग्याप्रसाद अना0सा0 2 की साक्ष्य कराई गई है।

06. प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिनका निष्कर्ष विवेचना उपरांत उनके समक्ष अंकित किया जा रहा है :-

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदिका ने अपने दाम्पत्य संबंधों का प्रत्याहरण बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक के साथ कर लिया है?	'हाँ'
2.	क्या आवेदक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?	'नहीं'
3	सहायता एवं वाद व्यय?	याचिका निरस्त कंडिका 23 के अनुसार।

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

वादप्रश्न क्रमांक 1 :-

07. आवेदक की ओर से प्रमुख रूप से याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में आवेदक साक्षी गोविंदप्रताप आ0सा0 1 एवं लाडले मोहनलाल शुक्ला आ0सा0 2 के कथन रहे हैं कि विवाह के पश्चात् कुछ समय तक अनावेदिका आवेदक के साथ ठीक तरह से रही, किन्तु डेढ साल पश्चात् ही अनावेदिका आवेदक से छोटी छोटी बातों पर झगडा कर उन्हें परेशान करने लगी और कहती थी कि वह उनके साथ नहीं रहेगी और आवेदक को साथ ले जाएगी। आवेदक साक्षियों का यह भी कहना रहा है कि उन्होंने अनावेदिका को समझाया कि आवेदक का छोटा भाई बाहर रहता है माता पिता की देखाभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए घर में ही रहना होगा तब अनावेदिका ने घर छोड़ने की धमकी दी। इसी बात को लेकर दिनांक 26.06.2009 को अनावेदिक ने फोन लगाकर अपने भाई एवं पिता को बुलाया और वह अनावेदिका को अपने साथ लिवाकर ले गए, साथ में अवयस्क पुत्र को भी ले

गए, जब आवेदक लेने गया तो अनावेदिका के पिता ने उसे धक्का देकर निकाल दिया और आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अनावेदिका ने आवेदक को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सहचर्य से बंचित कर दिया है।

08. आवेदक की ओर से लिए गए आधारों के संबंध में यदि अनावेदिका साक्षी अमिता अना0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अनावेदिका का प्रमुख रूप से यह कहना रहा है कि आवेदक व उसके परिजन शादी के कुछ समय बाद से उसे परेशान करने लगे और दहेज के रूप में एक लाख रुपए की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी और एक बार आवेदक की माँ ने उसे हसिया फेंककर मारा था जिससे उसे चोटें आई थी।

09. प्रकरण में आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि अनावेदिका अपने भाई और पिता के साथ चली गई और बगैर किसी पर्याप्त कारण के पिता के घर निवास कर रही है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि आवेदिका लम्बे समय से अपने पिता के पास निवास कर रही है। अनावेदिका के इस आशय के कथन रहे हैं कि उसके ससुराल वाले उसकी दहेज के लिए मारपीट करते थे व परेशान करते थे। अनावेदिका की ओर से प्र.डी. 1 की आदेश पत्रिका जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद में पक्षकारों के मध्य चले प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि है, किन्तु अनावेदिका की ओर से उसके द्वारा दहेज की मांग एवं मारपीट करने संबंधी कोई रिपोर्ट की गई की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका के उत्तर का अवलोकन किया गया। अनावेदिका द्वारा केवल दहेज की मांग करने एवं आवेदक द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, किन्तु यदि अनावेदिका के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो अनावेदिका का अपने कथनों में कहना रहा है कि आवेदक का इलाज मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर में चल रहा है और वह मानसिक रूप से विछिन्न है इसी कारण वह उसके साथ नहीं रह सकती है। ऐसे आधार अनावेदिका द्वारा अपने याचिका के उत्तर में नहीं लिए गए हैं।

11. अनावेदिका ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आवेदक

उसे साथ ले जाने को तैयार था, किन्तु उसने इन्कार कर दिया। आवेदक द्वारा अनावेदिका को अपने साथ रखने का प्रस्ताव देना अनावेदिका द्वारा इन्कार किये जाने संबंधी तथ्य प्र.डी. 1 की आदेश पत्रिका में लिखित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्वयं अनावेदिका की स्वीकारोक्ति एवं अनावेदिका के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.डी. 1 से ही प्रमाणित होता है कि आवेदक ने पूर्व में भी अनावेदिका को अपने साथ रखने के लिए प्रयत्न किया है।

12. जहाँ तक अनावेदिका द्वारा लिए गए कूरता संबंधी तथ्य का प्रश्न है। साक्षी गोविंदप्रताप ने अनावेदिका द्वारा रिपोर्ट करने एवं अनेक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में चलने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया है, किन्तु उक्त रिपोर्ट किस आधार पर की गई थी अनावेदिका को किस कूरता के अधीन रखा गया इस संबंध में अनावेदिका की ओर से अपने कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में जहाँ कि अनावेदिका की यह स्वीकारोक्ति रिकार्ड पर है आवेदक मानसिक रोगी है वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, ऐसा दर्शित होता है कि अनावेदिका की ओर से उसके साथ कूरता किये जाने संबंधी आधार वास्तविक नहीं है।

13. प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिसमें स्वीकृत रूप से अनावेदिका वर्ष 2009 से आवेदक से प्रथक अपने मायके में निवास कर रही है। अनावेदिका की ओर से जो आधार लिया गया है वह वास्तविक दर्शित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनावेदिका ने बिना किसी युक्तियुक्त प्रत्याहेतुक के आवेदक को अपने सहचर्य से बंचित कर रखा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण सकारात्मक रूप से **हाँ** में किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 2:-

14. प्रकरण में अनावेदिका यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रही है कि वह पर्याप्त कारण से आवेदक से प्रथक निवास कर रही है। अंतिम तर्कों के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया कि चूंकि आवेदक का स्वयं अनावेदिका के साथ रहना संभव नहीं है। उसकी ओर से अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत तलाक याचिका प्र0कं0 31/15 वैवाहिक अमिता शुक्ला

बनाम गोविंदप्रताप में तलाक के लिए सहमति प्रदान कर दी है। ऐसी स्थिति में आवेदनपत्र को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

16. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण की अनावेदिका द्वारा एक अन्य प्रकरण विवाह विच्छेद बावत् प्र०क० 31/15 वैवाहिक अमिता शुक्ला बनाम गोविंदप्रताप प्रस्तुत किया है जो कि आज ही निर्णय हेतु नियत है। उक्त प्रकरण में उभय पक्ष की सहमति के आधार पर आवेदिका को तलाक की डिक्री प्रदान की जा चुकी है। अतः उभय पक्ष के मध्य हुए विवाह के संबंध में विच्छेदित करने की डिक्री प्रदान किए जाने के आधार पर वर्तमान में प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका 09 हिन्दू विवाह अधिनियम वास्ते दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापन की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है।

17. उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में वादप्रश्न क्रमांक 02 का निराकरण नकारात्मक रूप से **नहीं** के रूप में किया जा रहा है।

18. आवेदिका की ओर से धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदनपत्र अपने एवं अपने अवयस्क पुत्र के लिए जीवन निर्वाह के लिए एकमुस्त 10,00,000/- रूपए एवं मासिक 10,000/- रूपए दिलाए जाने की प्रार्थना की है, जिसका अनावेदक की ओर से विरोध इस आधार पर किया गया है कि अनावेदक ने अनेक बार आवेदक को साथ रखने का प्रयास किया, किन्तु आवेदिका स्वयं प्रथक रह रही है।

19. आवेदिका की ओर से अनावेदक के पास सम्पत्तियाँ होने का आधार लिया है, इस संबंध में आवेदिका अमीता आ०सा० 1 के कोई कथन नहीं रहे है कि अनावेदक के पास कौन कौन सी सम्पत्ति चल, अचल विद्यमान है। तर्कों के दौरान यह आधार लिया है कि अनावेदक साक्षी लाडले मोहन शुक्ला अना०सा० 1 ने साक्षी के भाई दिनेश नारायण के पास वर्फ की फौकट्री होने एवं गिरिजेश नारायण के पास पाइप फौकट्री होना स्वीकार किया है। अनावेदक का परिवार सभूत परिवार है, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी लाडले मोहनलाल शुक्ला ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि अनावेदक गोविंद के नाम से कोई चल-अचल सम्पत्ति स्थित है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि आवेदिका की ओर से ऐसे

कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अनावेदक के पास किसी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्ति मौजूद है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अनावेदक वर्तमान में स्वयं आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वह मानसिक रूप से बीमार है। ऐसी स्थिति में अनावेदक कोई राशि प्रति मास आवेदिका को प्रदान कर सकता हो ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 की मंशा के अनुरूप अनावेदक से आवेदिका को स्थाई निर्वाहिका अथवा भरण पोषण दिलाए जाने के आधार व परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है।

20. परिणामतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम (आई.ए. न0 1) निरस्त किया जाता है।

21. आवेदिका की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रस्तुत किया है और यह प्रार्थना की है कि विवाह के समय जो उसे स्त्रीधन मिला था तथा जो दहेज मिला था वह सम्पूर्ण अनावेदक से दिलाया जावे, जबकि अनावेदक की ओर से अपने उत्तर में यह आधार लिया गया है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह बगैरह दान दहेज के सम्पन्न हुआ था।

22. प्रकरण में आवेदिका साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके विवाह में दान दहेज तय नहीं हुआ था और उनके पिता ने अपनी स्वेच्छया से बिना मागे कुछ सामान दिया था, किन्तु आवेदिका की ओर से विवाह के समय प्राप्त उपहार की कोई सूची अथवा दहेज की कोई सूची जो कि आवेदिका को प्राप्त हुई हो प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से विवाह के समय उपहार के रूप में जो वस्तुएं प्राप्त होने संबंधी कथन किए हैं उसके संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम (आई.ए. न0 2) स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3:-

23. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में आवेदक अपनी ओर से प्रस्तुत यह याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है, किन्तु इस न्यायालय में संचालित

प्रकरण 31/15 वैवाहिक अमिला शुक्ला वि० गोविंदप्रताप में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2017 में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार की गई है को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका न्यायोचित प्रतीत न होने से निरस्त की जाती है। इस संबंध में निम्नानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाती है : -

1. आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम वास्ते दाम्पत्य संबंधों की पुनरुत्थापना बावत् निरस्त की जाती है।
2. उभय पक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करे।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- रूपए की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, देय हो।
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड